रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 21, 2016/माघ 1, 1937
No. 51] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 21, 2016/MAGHA 1, 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 94(अ).—केंद्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खंड (ढ़), खंड (ण), और खंड (त) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में –

(i) उप-नियम (3) अथवा नियम 5, में –

(क) खंड (ड़) में "करवाने की इच्छा" शब्दों के स्थान पर "करवाएंगे" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (च) में "अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के इच्छुक" शब्दों के स्थान पर "कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (ज) में, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ज) स्थापना की शर्तें:—

(i) सरकार द्वारा अनुमोदित केन्द्र द्वारा गैर-मानक बाट अथवा माप का सत्यापन नहीं किया जाएगा।

(ii) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा ऐसे बाटों और मापों का सत्यापन किया जाएगा जो सत्यापन के लिए अपेक्षित शुल्क सहित एक आवेदन, जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया गया हो, के साथ प्रस्तुत किए जाएं,—

(क) विनिर्माता या आयातक या डीलर या प्रयोगकर्ता का नाम एवं पूरा पता;

(ख) उस कारखाने या परिसर की अवस्थिति जहां ऐसे बाट अथवा माप का विनिर्माण या आयात अथवा प्रयोग किया जा रहा है;

(ग) सत्यापित किए जाने वाले बाट अथवा माप की अधिकतम एवं न्यूनतम क्षमता, 'ई' अथवा 'डी' मान, यथार्थता श्रेणी;

(iii) सत्यापन के पश्चात् सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(iv) सत्यापन प्रमाण-पत्र विधिक माप विज्ञान (साधारण) नियम, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिमान्य रहेगा और विहित फीस के संदाय पर ऐसी अवधि के लिए नवीकृत हो सकेगा।

(v) सरकार द्वारा अनुमोदित प्रत्येक परीक्षण केन्द्र, सत्यापित किए गए बाटों और मापों का विवरण, कैलेन्डर वर्ष के अंत में, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा"।

(ii) उप-नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्: —

"उप-नियम (7) के अधीन आदेशों से व्यथित कोई व्यक्ति, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग को अपील कर सकता है।"

दूसरी अनुसूची

(नियम 5 का उप-नियम (1) देखें)

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के लिए आवेदन

(1) आवेदक का पूरा नाम और पूरा पता;

(2) ऐसे बाट या माप का नाम जिसके लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा आवेदन किया गया है;

(3) आवेदक का सुसंगत क्षेत्र के अनुभव का ब्यौरा;

(4) संगठनात्मक ढांचे का ब्यौरा;

(5) प्रधान अधिकारी और अन्य तकनीकी कर्मचारिवृन्द की अहर्ताएं;

(6) आवेदक/केन्द्र के पास उपलब्ध मानकों और अन्य परीक्षण सुविधाओं का ब्यौरा;

(7) प्रयोगशाला के गुणता प्रबंधन प्रणाली की प्रति, यदि उपलब्ध है;

(8) डिमान्ड ड्राफ्ट का ब्यौरा;

(9) ऐसी अधिकारिता/क्षेत्र जिसके लिए आवेदन किया गया है;

(10) उपभोक्ता परिवाद संख्या।

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पण: प्रत्येक आवेदन पूरे दस्तावेजों और शर्तों तथा निबंधन के साथ तीन प्रतियों में होगा। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण केन्द्र के लिए आवेदन करते समय 10,000/-रु. फीस, डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में, नई दिल्ली में देय "चेतन और लेखा अधिकारी, उपभोक्ता मामले विभाग" के पक्ष में संदत्त की जाएगी।

[फा. सं. डब्ल्यू.एम. -11 (6)/2014]

पी. वी. रामा शास्त्री, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(i) में तारीख 5 सितम्बर, 2013 में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 593(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th January, 2016

G.S.R. 94(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (n), (o) and (p) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013, namely:

1. (1) These rules may be called as the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013 (hereinafter referred to as the principal rules),—

(i) in sub-rule (3) or rule 5.—

(a) in clause (e), for the words "willingness to get", the words "shall get" shall be substituted;

(b) in clause (f), for the words "willing to train its employees", the words "the employees shall be trained" shall be substituted;

(c) in clauses (h), the following clauses shall be substituted, namely:

"(h) **Conditions to set up:-**

(i) non-standard weight or measure shall not be verified by the Government Approved Test Centre.

(ii) Government Approved Test Centre shall verify the weights and measures which are submitted with requisite fee of verification with an application indicate therein, —

(A) name and full address of manufacturer or importer or dealer or user;

(B) location of the factory or premises in which such weight or measure is manufactured or imported or intended to be used;

(C) maximum and minimum capacity, 'e' or 'd' value, accuracy class of weight or measure, to be verified;

(iii) after verification, the Government Approved Test Centre shall issue the certificate of verification.

(iv) the certificate of verification shall remain valid for a period as specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and shall be renewed for such period on payment of prescribed fee.

(v) Every Government Approved Test Centre shall submit to the Central Government, at the end of the calendar year, a statement as to the number of the weights and measures verified."

(ii) for sub-rule (8) the following shall be substituted, namely,-

"(8) Any person aggrieved by orders under sub-rule (7) may appeal to secretary of the Department of Consumer Affairs.

3. For the Second Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"Second Schedule

(See sub-rule (1) of rule 5)

Application for Approval of Government Approved Test Centre

(1) Full name and complete address of the applicant;

(2) Name of the weight or measure for which Government Approved Test Centre has been applied;

(3) Experience detail in the relevant field of the applicant;

(4) Detail of the organizational structure;

(5) Qualification of Principal Officer and other technical staff;

(6) Detail of the standards available and other testing facilities available with the applicant/ centre;

(7) Copy of the Quality management system of the laboratory, if available;

(8) Details of the Demand Draft;

(9) Jurisdiction/area for which application is made;

(10) Consumer complaint number.

Signature of Applicant

Note : Every application shall be in triplicate accompanied by complete documents and terms and conditions. A fee of Rs. 10,000/- will be paid in the form of Demand Draft in favour of "Pay and Accounts Officer, Department of Consumer Affairs" payable at New Delhi at the time of applying for Government Approved Test Centre".

[F. No. WM-11(6)/2014]

P. V. RAMA SASTRY, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in Gazette of India, Part II, Section 3(i), dated the 5th September, 2013, *vide* G.S.R. 593(E).

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.